वेबसाईट

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ।

सेवा में,

सभी डी0डी0ओ0, क्षेत्रीय कार्यालय
श्रम विभाग, हरियाणा।

क्रमांकः स्था0/01/2024/ 2153-2205
दिनांकः 23-01-2024

विषयः— **श्रम निरीक्षकों की ऑन लाईन स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में।**

''''''

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको सूचित किया जाता है कि विभाग श्रम निरीक्षकों की ऑन–लाईन स्थानान्तरण नीति प्रक्रियाधीन है, जिसके लिये सभी डी0डी0ओ0 को उनके अधिनस्थ कार्यरत सभी श्रम निरीक्षकों का डाटा भेज दिया गया है, जो कि दिनांक 25.01.2024 को ओपन होगा।

अब सभी डी0डी0ओ0 का कार्य यह है कि वह HRMS site के Checker के modules/Generate Orders के ऑपशन में Policy Base Online Transfer के माडुल में OTP – Employee Score Verification के माध्यम से सभी श्रम निरीक्षकों को सर्विस रिकार्ड अनुसार Score Verification हेतु उन्हें भेजें और उनको निर्देशित करें कि वह अपना Score Verification के उपरांत दिनांक 29.01.2024 तक Intra Haryana के माध्यम से Score verify करें अन्यथा उनका Score स्वतः Verified माना जायेगा।

इसके अतिरिक्त सभी डी0डी0ओ0 से अनुरोध है कि वह सभी श्रम निरीक्षकों का Score/Verification उपरांत दिनांक 30.01.2024 तक मुख्यालय को अवगत करवायें ताकि मामले में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके। उपरोक्त दर्शायी गई तिथियां On-line Transfer Policy में आगामी कार्यवाही अनुसार निश्चित की गई है। इसलिए उक्त कार्यवाही इन तिथियों अनुसार करना सुनिश्चित करे, क्योंकि इन तिथियों में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाना संभव नहीं है।

इसके अतिरिक्त यदि श्रम निरीक्षकों के एच0आर0एम0एस0 रिकार्ड से संबंधित कोई तकनीकी परेशानी/त्रुटि हो तो एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर एन0आई0सी0 को अपनी शिकायत दर्ज करवाए, ताकि समय पर उसका निपटान किया जा सके।

नोडल अधिकारी
ऑन लाईन स्थानान्तरण नीति

C:\Users\acer\Dropbox\21.08.2020\New Data\E-1\2023\Draft 2022.docx